भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3012
दिनांक 07.08.2025 को उत्तर के लिए नियत

महाराष्ट्र में पीएमईजीपी

3012. श्री संजय दीना पाटील:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत महाराष्ट्र में स्थापित सूक्ष्म उद्यमों की संख्या कितनी है;

(ख) इसी अवधि में महाराष्ट्र में पीएमईजीपी के अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता/ सब्सिडी वितरित की गई है और कितने लाभार्थियों, विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और युवाओं को इसके अंतर्गत शामिल किया गया;

(ग) क्या पीएमईजीपी ने महाराष्ट्र के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्व-रोजगार के अवसरों के सृजन में प्रभावी योगदान दिया है और यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(घ) महाराष्ट्र में समय पर ऋण वितरण सुनिश्चित करने, आवेदन प्रक्रियाओं को सरल बनाने और पीएमईजीपी आवेदनों में अस्वीकृति दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र में पीएमईजीपी योजना के दायरे का विस्तार करने या वित्तीय सीमा बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में पारदर्शिता, निधि के उचित उपयोग और नए उद्यमियों के लिए अनुवर्ती सहायता सुनिश्चित करने के लिए क्या निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख): विगत 5 वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या, संवितरित मार्जिन मनी सब्सिडी तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थियों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	महाराष्ट्र					
	युवा उद्यमियों सहित सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की कुल संख्या	संवितरित कुल मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रुपये में)	एससी/एसटी लाभार्थी		महिला लाभार्थी	
			सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रुपये में)	सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यमों की संख्या	मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रुपये में))
2020-21	3,094	88.14	594	12.52	1,176	36.43
2021-22	4,123	129.92	740	18.42	1,712	64.58
2022-23	3,622	131.86	601	14.60	1,521	66.64
2023-24	2,762	121.82	453	16.07	1,148	63.00
2024-25	1,856	104.98	595	25.40	801	54.87

(ग): पिछले पाँच वर्षों में अर्थात वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ने महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 11,705 और शहरी क्षेत्रों में 3,752 सूक्ष्म उद्यमों के निर्माण में प्रभावी योगदान दिया है, जिससे इसी अवधि में क्रमशः 93,640 (ग्रामीण) और 30,016 (शहरी) व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है।

(घ): महाराष्ट्र सहित देश-भर में समय पर ऋण संवितरण सुनिश्चित करने, आवेदन प्रक्रियाओं को सरल बनाने और पीएमईजीपी आवेदनों की अस्वीकृति दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्न कदम उठाए गए हैं:

i. कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात केवीआईसी के राज्य कार्यालयों, राज्य केवीआईबी, राज्य डीआईसी और वित्तीय संस्थानों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें करना।

ii. विभिन्न उद्योगों पर 1,000 से अधिक मॉडल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई हैं और पीएमईजीपी पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई हैं।

iii. जनवरी 2024 से भावी लाभार्थियों से पीएमईजीपी आवेदन 11 क्षेत्रीय भाषाओं में स्वीकार किए जा रहे हैं।

iv. आवेदनों की गुणवत्ता बढ़ाने और अस्वीकृति को कम करने के लिए, तकनीकी विशेषज्ञों और सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों की सेवाएं ली गई हैं ताकि आवेदन चरण के दौरान भावी पीएमईजीपी लाभार्थियों को सहायता प्रदान कर सकें।

v. सभी प्रमुख बैंकों को आवेदनों की अस्वीकृति को कम करने के लिए कदम उठाने की सलाह दी गई है।

(ङ.): वर्तमान में, पीएमईजीपी स्कीम की वित्तीय सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च): महाराष्ट्र सहित देश में नए उद्यमियों के लिए पारदर्शिता, निधियों का उचित उपयोग और अनुवर्ती सहायता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित निगरानी तंत्र स्थापित किए गए हैं:

i. आवेदन प्रस्तुत करने से लेकर लाभार्थी के ऋण खाते में मार्जिन मनी सब्सिडी के समायोजन तक की पूरी प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए एक विशिष्ट पोर्टल तैयार किया गया है।

ii. ऋणों की उचित स्वीकृति और मार्जिन मनी के संवितरण को सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष स्तर, राज्य और जोनल स्तर पर बैंकर समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं।

iii. स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी हेतु तिमाही आधार पर राज्य स्तरीय निगरानी समिति और जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

iv. कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात खादी और ग्रामोद्योग आयोग के राज्य कार्यालयों, विभिन्न राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, राज्य जिला उद्योग केंद्रों और वित्तीय संस्थानों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।
